



जीविका

गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



प्रथम तल, विद्युत भवन-2, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फ़ैक्स : +91-612-250 4960, वेबसाइट : www.brllp.in

Ref. No: BRUPS Proj/497/14/4454

Date: 03.02.2017

कार्यालय-आदेश

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके उच्चतर संगठनों के माध्यम से जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु कार्य किये जा रहे हैं। ये कार्य राज्य स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे हैं। जीविका द्वारा संचालित गतिविधियों का क्रियान्वयन बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (BTDP-Bihar Transformative Development Project), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोजेक्ट (NRLP-National Rural Livelihoods Project) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत किये जा रहे हैं। वर्णित परियोजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 300, 77 एवं 157 प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है। जीविका द्वारा वृहद पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों का गठन कर सदस्यों की क्षमतावर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। साथ ही सामुदायिक संगठन के स्तर पर जीविकोपार्जन संबंधित संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक निवेश निधि (CIF-Community Investment Fund) के निवेश की परिकल्पना की गयी है ताकि सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ की जा सके। आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों को प्रशिक्षित कर बैंकों के माध्यम से भी निवेश लाने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि सामुदायिक संगठनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक निवेश निधि का उपयोग सामुदायिक संगठन के स्तर पर निर्णय क्षमता बढ़ाने एवं उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। इस निधि के संचालन से सामुदायिक स्तर पर आत्म विश्वास की बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि संसाधनों पर निर्णय का अधिकार उनका होता है। पिछले कुछ वर्षों में इस निधि का उपयोग कर गरीब परिवार के सदस्यों ने महाजनों का अत्यधिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण चुकाया, अपनी गिरवी रखी जमीन वापस ली, जीविका के संसाधनों को बढ़ाया, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाया, खाद्य सुरक्षा बढ़ाया तथा परिवार की खुशहाली के लिए अन्य कई कार्य किये।

विगत कुछ वर्षों के अनुभव, वर्णित परियोजनाओं के मापदंड एवं जीविका द्वारा क्रियान्वयित विभिन्न परियोजनाओं में एकरूपता की जरूरत को महसूस करते हुए सामुदायिक निवेश निधि को संचालन करने

के प्रावधानों में बदलाव किये गये हैं। ये प्रावधान 01 जनवरी 2017 से मान्य होंगे। परिवर्तित प्रावधानों का सार निम्नलिखित सारणी में वर्णित है:-


क्रम संख्या	सामुदायिक निवेश निधि का स्वरूप	आवश्यक मापदंड पूरी होने पर दी जाने वाली राशि	सामुदायिक स्तर जिनको यह राशि निर्गत की जा सकती है
1	परिक्रमी निधि (Revolving Fund)	0-15,000 रु0	स्वयं सहायता समूह
2	आरंभिक पूंजीकरण निधि - प्रथम किश्त (Initial Capitalization Fund-1st Installment)	0-1,00,000 रु0	ग्राम संगठन
3	आरंभिक पूंजीकरण निधि - द्वितीय किश्त (Initial Capitalization Fund-2nd Installment)	0-50,000 रु0	ग्राम संगठन
4	आरंभिक पूंजीकरण निधि	0-10,00,000 रु0	संकुल स्तरीय संगठन

इस कार्यालय आदेश के उपरांत दी जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि के वर्णित स्वरूपों की अधिकतम सीमा उपर्युक्त वर्णित सारणी के अनुरूप होगी।

उपर्युक्त लिये गये नीतिगत निर्णय को बेहतर ढंग से परियोजना के कर्मियों एवं समुदाय स्तर पर कार्यकर्ताओं को समझाने हेतु विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है, जो इस कार्यालय आदेश का हिस्सा है। इस कार्यालय आदेश की प्रति (अनुलग्नक सहित) समस्त परियोजना कर्मियों को प्रखंड स्तर पर उपलब्ध करवायी जाए। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रखंड एवं जिला परियोजना प्रबंधक पर होगी।

यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपने कार्य क्षेत्र में इस निर्णय के अनुसार कार्य सुनिश्चित करवायें।

अनुलग्नक : यथोक्त ।


 बालामुरुगम डी10
 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
 जीविका

सामुदायिक निवेश निधि से संबंधित कार्यालय आदेश का अनुलग्नक

जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक संगठनों की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु विभिन्न तरीकों से क्षमतावर्धन किया गया है। सामुदायिक संगठन के स्तर पर क्षमतावर्धन की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने हेतु विभिन्न माध्यमों से वित्तीय निवेश सुनिश्चित करवाये गये हैं। एक ओर जहाँ बैंक के माध्यम से वित्तीय सम्पोषण को दिशा दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर परियोजना स्तर पर एक निधि के स्वरूप की परिकल्पना की गयी है। इस निधि को सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक निवेश निधि एक ऐसी राशि है जो परियोजना द्वारा समूह के सदस्यों के विकास हेतु उनके द्वारा गठित सामुदायिक संगठनों को दी जाती है। ये संगठन सामूहिक रूप से अपनी जरूरतों का आकलन करते हैं तथा जरूरतमंद सदस्यों को इस निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। सामुदायिक संगठनों के स्तर पर किये गये क्षमतावर्धन एवं वित्तीय निवेश का असर उनके द्वारा लिये गये निर्णय की प्रक्रिया में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। सामुदायिक संगठन अपने पास उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग को लेकर अत्यधिक सतर्क दिखाई देते हैं एवं इससे उनकी कार्य क्षमता और पारदर्शिता काफी विकसित होती है।

परियोजना द्वारा सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संगठन) के स्तर पर सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग-अलग स्वरूपों में निवेश किया गया है। इन विभिन्न स्वरूपों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है। जीविका के अनुभव एवं इसके द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरूपों में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस की गयी है। सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरूपों एवं प्रस्तावित बदलाव की रूपरेखा को निम्नलिखित रूप में भविष्य में क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट किये जाते हैं:

क) परिक्रमी निधि (Revolving Fund-RF) :

इस निधि का मुख्य मकसद समूह की गरीब सदस्यों की जरूरतों के लिए पूंजी की उपलब्धता सहज रूप से सामुदायिक संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित करना है। इस निधि का उपयोग सदस्य अपने किसी भी जरूरत की पूर्ति हेतु कर सकते हैं। यह जरूरी है कि सदस्यों के द्वारा स्वयं सहायता समूह का संचालन अच्छे ढंग से हो रहा हो। वर्तमान में परिक्रमी निधि (Revolving Fund) की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) तय की गयी है।

परिक्रमी निधि (Revolving Fund-RF) देने हेतु स्वयं सहायता समूह स्तर पर मापदण्ड निम्नलिखित हैं:

1. स्वयं सहायता समूह कम से कम दो माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान समूह की नियमित कम से कम 8 बैठकें पूरी होनी चाहिए। समूह का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए।
2. समूह को पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि समूह द्वारा नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन-देन, नियमित वापसी और नियमित लेखा संधारण किया जाता है।
3. एक अति महत्वपूर्ण मापदंड है SHG Profile का MIS में संधारण यानी Entry। इस मापदंड को पूरा किये बिना किसी भी समूह को परिक्रमी निधि उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। इस मापदंड को विशेष तरजीह देने की जरूरत है।
4. समूह का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैं :
क) गरीबी के कारण तथा समूह की आवश्यकता।
ख) बैठक की प्रक्रिया, नियमावली एवं तरीकों से संबंधित चीजें।
ग) नेतृत्व, वित्तीय अनुशासन एवं मतभेद समाधान जैसे मुद्दों पर परिचर्चा।
5. जीविका मित्र (Community Mobilizer) का चयन हो जाना चाहिए। जीविका मित्र का Books of Accounts पर प्रशिक्षण पूर्ण होनी चाहिए एवं उसे समूह का नियमित लेखांकन करते रहना चाहिए। जीविका मित्र का लेन-देन प्रपत्र पर प्रशिक्षण अनिवार्य है।
6. खाता बही का लेखांकन सही-सही होना चाहिए। कार्यवाही पुस्तिका एवं लेन-देन प्रपत्र तो जरूर ही लिखा होना चाहिए। खाता बही का लेखांकन जीविका मित्र या सामुदायिक समन्वयक के द्वारा अवश्य ही लिखा होना चाहिए।
7. सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करवानी चाहिए तथा कभी भी सदस्यों की जरूरत से ज्यादा ऋण पर जोर नहीं देना चाहिए। समूह की सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए।
8. परिक्रमी निधि समूह को देने से पहले संबंधित सामुदायिक संगठक एवं क्षेत्रीय संगठक इस बात को सुनिश्चित करें कि सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया की समझ सदस्यों के स्तर पर अच्छी हो। सदस्यों की जरूरतों का आकलन अच्छी तरह किया गया हो एवं सदस्यों को ऋण की शर्तें

स्पष्ट मालूम हो। सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को यथावत रखने की जरूरत है ताकि तैयार योजना के मद में बैंकों से निवेश बैंक ऋण के रूप में समूह स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके।

9. नियमित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए। इसकी गणना जरूर करें और उसका आधार साक्ष्य के रूप में रहना चाहिए।
10. बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम 80 प्रतिशत सदस्य नियमित बचत कर रहे हों।
11. समूह के आन्तरिक लेन-देन की शुरुआत अवश्य होनी चाहिए। समूह में ली गयी रकम की ससमय वापसी का ध्यान भी जरूर रखें। समूह की वापसी दर कम-से-कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

ख) आरंभिक पूंजीकरण निधि-प्रथम एवं द्वितीय किश्त (ICF-Initial Capitalization Fund-1st & 2nd Installment) :

उच्चतर सामुदायिक संगठनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं निर्णय क्षमता बढ़ाने हेतु यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि ग्राम संगठनों के माध्यम से ही समूहों को दी जाएगी। इससे ग्राम संगठन की क्रियाशीलता बढ़ेगी तथा ग्राम संगठनों को विभिन्न सामाजिक एवं वित्तीय मुद्दों पर निर्णय लेने में सहूलियत होगी। वर्तमान में आरंभिक पूंजीकरण निधि के प्रथम एवं द्वितीय किश्त के तौर पर अधिकतम राशि सीमा क्रमशः 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) एवं 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) निर्धारित की गयी है।

सामुदायिक संगठनों को आरंभिक पूंजीकरण निधि (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) उपलब्ध करवाने हेतु जिन मापदंडों को संधारण करवाना सुनिश्चित करना होगा, उनकी विवरणी संक्षिप्त में प्रेषित है-

(i) परियोजना द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि- प्रथम किश्त (ICF-Initial Capitalization Fund-1st Installment) देने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर मापदंड निम्नलिखित है :-

1. ग्राम संगठन कम से कम 2 माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान संगठन की कम से कम 2 बैठकें पूरी होनी चाहिए। यह अतिमहत्वपूर्ण है कि ग्राम संगठन का **profile MIS** में दर्ज कर लिया गया हो। इस मापदंड की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
2. ग्राम संगठन का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए।

3. ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति का गठन हो चुका हो। इसके साथ ही संगठन को नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रतिनिधियों का चयन हो गया हो। साथ ही सदस्यों एवं प्रतिनिधियों को प्राप्त निधि के संचालन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया हो।
4. ग्राम संगठन की निर्धारित उप समितियों का गठन हो गया हो। ग्राम संगठन के अंतर्गत गठित उप समितियाँ हैं: सामाजिक ऑडिट (अंकेक्षण) समिति, बैंक लिंकेज समिति, ऋण वापसी समिति, सोशल एक्शन (सामाजिक कार्य) समिति, खाद्य सुरक्षा समिति इत्यादि।
5. ग्राम संगठन के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैं:
 - (क) ग्राम संगठन की अवधारणा, महत्व एवं नियमावली ।
 - (ख) बैठक की प्रक्रिया, एजेंडा एवं लेखा का महत्व ।
 - (ग) उप समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका ।
6. ग्राम संगठन के लेखा संधारण हेतु बुक कीपर (Bookkeeper) का चयन हो गया हो। चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संबंधित बुक कीपर का ग्राम संगठन की लेखा संधारण हेतु प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका हो। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि ग्राम संगठन से संबंधित लेखा संधारण हेतु Books of Records की उपलब्धता अनिवार्य है।
7. ग्राम संगठन स्तर पर लेखा संधारण हेतु बुक कीपर या संबंधित सामुदायिक संगठक का प्रशिक्षण पूर्णतः अनिवार्य है। यह अतिमहत्वपूर्ण मापदंड है और इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
8. खाता-बही का लेखांकन सही-सही तरीके से होना चाहिए। कम से कम प्राप्ति एवं भुगतान विपत्र के साथ-साथ कैश बुक का लिखा जाना अनिवार्य है।
9. ग्राम संगठन पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए।
10. ग्राम संगठन स्तर पर उपस्थिति कम से कम 80% हो।

उपर्युक्त वर्णित रुपरेखा के अंतर्गत ही भविष्य में आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त (ICF-1st Installment) का निवेश सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठनों) के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परियोजना द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि— द्वितीय किश्त (ICF-Initial Capitalization Fund-2nd Installment) देने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर मापदंड निम्नलिखित है :-

1. ग्राम संगठन द्वारा प्राप्त विभिन्न निधियों (आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त, खाद्य सुरक्षा निधि एवं SHAN Fund इत्यादि) का संचालन सुचारू रूप से चल रहा हो तथा इसकी वापसी प्रतिशत कम से कम 80% हो।
2. ग्राम संगठन द्वारा किये गये खर्चों का विवरण मासिक वित्तीय विवरणी के रूप में परियोजना की प्रखंड इकाई को प्रेषित की जा रही हो एवं इसका अद्यतन संधारण MIS System पर कर लिया गया हो। आरंभिक पूंजीकरण निधि की द्वितीय किश्त की राशि निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि संबंधित ग्राम संगठन के द्वारा पिछले माह तक का वित्तीय ब्यौरा उपलब्ध करवा दिया गया है।
3. मासिक प्रतिवेदन के आधार पर समूहों का आकलन अर्थात् Grading सुनिश्चित कर ली गयी है।

वर्तमान में तय निर्धारित अवधि के उपरांत यह जरूरी होगा कि ग्राम संगठनों का अंकेक्षण (Audit) निरंतर सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु ग्राम संगठनों को प्रशिक्षित कर बुनियादी जानकारी देनी जरूरी होगी। उत्तरोत्तर समयावधि के उपरांत ग्राम संगठन के द्वारा यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उनका अंकेक्षण (Audit) पूर्ण हो गया हो एवं उनके द्वारा उस Audit का compliance भी सुनिश्चित किया गया है। इससे ग्राम संगठन स्तर पर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता का समागम होगा तथा सामुदायिक संगठनों पर विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

ग) जीविका परियोजना द्वारा संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु निवेश:

जीविका परियोजना द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संकुल स्तरीय संगठन बनने के उपरांत उनके माध्यम से भी आरंभिक पूंजीकरण निधि का संचालन सदस्यों की आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। जीविका परियोजना द्वारा संकुल संघ को माध्यम बनाते हुए 10,00,000 रुपये (दस लाख रुपये) का निवेश किया जाएगा। यह अपेक्षित है कि इस प्रक्रिया से संकुल स्तरीय संगठन

की क्रियाशीलता बढ़ेगी तथा संकुल संघ को विभिन्न सामाजिक एवं वित्तीय मुद्दों पर निर्णय लेने में सहूलियत होगी। जीविका परियोजना द्वारा आंशिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) देने हेतु संकुल स्तरीय संगठन पर निम्नलिखित मापदंड हैं:

1. संकुल संघ कम से कम 3 माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान संगठन की कम से कम 3 बैठकें पूरी होनी चाहिए। यह अतिमहत्वपूर्ण है कि संकुल संघ का **profile MIS** में दर्ज कर लिया गया हो। इस मापदंड की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
2. संकुल संघ का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए।
3. संकुल संघ की कार्यकारिणी समिति का गठन हो चुका हो। इसके साथ ही संगठन को नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रतिनिधियों का चयन हो गया हो। साथ ही सदस्यों एवं प्रतिनिधियों को प्राप्त निधि के संचालन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया हो।
4. संकुल संघ की निर्धारित उप समितियों का गठन हो गया हो। संकुल संघ के अंतर्गत गठित उप समितियाँ हैं: सामाजिक ऑडिट (अंकक्षण) समिति, बैंक लिंकेज समिति, ऋण वापसी समिति, सोशल एक्शन (सामाजिक कार्य) समिति, खाद्य सुरक्षा समिति इत्यादि।
5. संकुल संघ के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैं:
 - (क) संकुल संघ की अवधारणा, महत्व एवं नियमावली ।
 - (ख) बैठक की प्रक्रिया, एजेंडा एवं लेखा का महत्व ।
 - (ग) उप समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका।
6. संकुल संघ के लेखा संधारण हेतु मास्टर बुक कीपर (Master Book-keeper) का चयन हो गया हो। चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संबंधित बुक कीपर का संकुल संघ की लेखा संधारण हेतु प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका हो। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि संकुल संघ से संबंधित लेखा संधारण हेतु Books of Records की उपलब्धता अनिवार्य है।

7. संकुल संघ स्तर पर लेखा संधारण हेतु मास्टर बुक कीपर या संबंधित सामुदायिक संगठक/क्षेत्रीय समन्वयक का प्रशिक्षण पूर्णतः अनिवार्य है। यह अतिमहत्वपूर्ण मापदंड है और इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
8. खाता-बही का लेखांकन सही-सही तरीके से होना चाहिए। कम से कम प्राप्ति एवं भुगतान विपत्र के साथ-साथ कैश बुक का लिखा जाना अनिवार्य है। कालांतर में समस्त लेखा-पुस्तिकाओं का संधारण अनिवार्य है।
9. संकुल संघ पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए।
10. संकुल संघ स्तर पर उपस्थिति कम से कम 80% हो।

वर्तमान में तय निर्धारित अवधि के उपरांत यह जरूरी होगा कि संकुल संघों का अंकेक्षण (Audit) निरंतर सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु संकुल संघों को प्रशिक्षित कर के बुनियादी जानकारी देनी जरूरी होगी। उत्तरोत्तर समयावधि के उपरांत संकुल संघ के द्वारा यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उनका अंकेक्षण (Audit) पूर्ण हो गया हो एवं उनके द्वारा उस Audit का compliance भी सुनिश्चित किया गया है। इससे संकुल संघ स्तर पर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता का समागम होगा तथा सामुदायिक संगठनों पर विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

